न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R- 3595 -III\14

1 राधेश्याम पिता जगन्नाथजी, जाति कुलमी
निवासी मालगढ तह जावद जिंला नीमच
--- आवेदक

विरूद्ध

1 म.प्र.शासन आदि
द्वारा : नायब तहसीलदार जावद
2 भुवानीराम पिता हरिराम
निवासी कुण्डला तह जावद जिला नीमच
--- अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधिनस्थ योग्य न्यायालय नायब तहसीलदार, जावद प्रकरण क्रमांक 45/अ–12/2013–14 मे प्रोसेडिंग आदेश दिनांक 16.7.2014 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन दि 15.7.14 से असंतुष्ट होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि, अधिनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जेर निगरानी विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, अधिनस्थ योग्य न्यायालय ने बिना किसी उचित एवं वैध कारण के विधान के विपरित जाकर सीमांकन करने में वैधानिक त्रुटि की है।

3. यह कि अधिनस्थ तहसील न्यायालय के आदेश के तहत आवेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नही दी गई है तथा बिना सूचना के एक पक्षीय रूप से राजस्व निरीक्षक के द्वारा सीमांकन किया गया है उक्त सीमांकन अवैधानिक होकर क्षेत्राधिकार बाहर का है। इस कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

4 यह कि तहसीलदार द्वारा आदेश राजस्व निरीक्षक, को विधिवत पडौसी कृषको का सूचना देकर व धारा 129 भू राजस्व संहिता के अंतर्गत नियमों का पालन कर सीमांकन करने का निर्देश दिया था किंत तहसीलदार द्वारा दिये गये आदेश का पालन किये बगैर आवेदक को सचना दिये बगैर एकपक्षीय रूप से सीमांकन कर आवेदक की भमि में अनावेदक की भमि होना

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3595-दो/14 **जिला - नीमच**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	